(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखण्ड–ii में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

<u>अधिसूचना सं0 18/2015–2020</u>
नई दिल्ली, दिनांकः 24 अगस्त, 2015

विषयः <u>प्याज की निर्यात नीति–न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) में वृद्धि</u>।

सा0 आ0 (अ) विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं0 22) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से प्याज के निर्यात से संबंधित दिनांक 12.03.2014 की अधिसूचना सं0 73 (आर ई–2013)/2009–14 के साथ पठित दिनांक 26.06.2015 की अधिसूचना सं0 13/2015–20 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. दिनांक 26.06.2015 की अधिसूचना सं0 13/2015–20 का संशोधित पैरा 2 अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगा;

> "निर्यात और आयात मदों के आई टी सी(एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 7 की क्रम सं0 51 और 52 के मद विवरण के लिए प्याज का निर्यात न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) 700 अमेरिकन डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य अथवा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय–समय पर अधिसूचित मूल्य के तहत अनुमत होगा।"

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

उपरोक्त यथा वर्णित सभी किस्मों की प्याज का निर्यात न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) 700 अमेरिकन डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के अधीन होगा।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/922/एएम08/पीसी–3/निर्यात सैल से जारी)